


14/12/22

पत्रावली प्रेषित हुई। जारी रखे वकील पत्रों को
 अंतर्गत न्यायालय मामलों में रोक रोक कर लीज
 परतवा आवेदन पुनरावृत्ति पर भी कोई उपाय नहीं
 हुआ। वकील पत्रों को चलनी हेतु पत्रावली प्रेषित
 प्रकाश करते से बाद भी चलनी प्रेषित नहीं करते
 से प्रलंबादि 630117 अन्तर्गत आवेदन 9 विपिन
 उ व स में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अतः
 प्रो.पत्र भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पत्रावली
 प्रेषित सुनकर ही प्रलंबादि वकील वकील
 वापस आकर है।


 उपखण्ड अधिकारी
 झालावाड़

14/12/22
 14/12/22
 14/12/22